झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–217 / 2019

आर0सी0एम0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका कार्यालय बंजारा हिल्स, हैदाराबाद में है, के प्रबंध निदेशक के माध्यम से, आर0सी0एम0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 8–2–622 / 5 / ए 2 इंदिरा चेम्बर्स, दूसरी मंजिल, एवेन्यू–4, रोड नंबर 10, बंजारा हिल्स, हैदाराबाद–500034, तेलंगाना अपने वरिष्ठ परियोजना पबंधक, लेखा, जी0 जगदीश्वर राव के माध्यम से, अपना कार्यालय 8–2–622 / 5 / ए / 2, इंदिरा चैंबर्स द्वितीय फ्लोर, एवेन्यू 4, रोड नंबर 10, बंजारा हिल्स, हैदाराबाद–500034ण् ेलंगाना में है।

.....प्रतिवादी संख्या 1 / याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारा अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झारखंड राज्य राजमार्ग (एस0एच0ए0जे0), सा0 दीनदयाल नगर, बूटी रोड (कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 रांची डिवीजन के कार्यालय के पास), रांची–834008, झारखंड)। ..... याचिकाकर्त्ता / प्रतिवादी संख्या 1

बनाम्

2. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा महानिबंधक, जिसका अपना कार्यालय जे0ए0पी0 ग्राउंड, डोरंडा, डाकघर एवं थाना–डोरंडा, जिला–रांची–834003 में है।

3. भारत संघ, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली, डाकघर, थाना और जिला–नई दिल्ली।

..... प्रतिवादीगण / प्रतिवादीगण

कोरमः **माननीय मुख्य न्यायाधीश**

माननीय न्यायमूर्ति श्री रत्नाकर भेंगरा

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री आर0आर0 मिश्रा, अधिवक्ता

श्री प्रशांत पल्लव, अधिवक्ता

श्री नवनीत सहाय, अधिवक्ता

प्रतिवादी–राज्य के लिए : श्री एच0के0 मेहता, ए0ए0जी0

श्री शरद कौशल, ए0ए0जी0 के ए0सी0

प्रतिवादी–भारत संघ के लिए : श्री राजीव सिन्हा, ए0एस0जी0आई0

श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सी0जी0सी0

आदेश संख्या 02 : दिनांक 11वीं अप्रैल, 2019

अनिरूद्ध बोस, सी0जे0

14 मार्च, 2019 को हमने झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दाखिल एक रिट याचिका (डब्ल्यू0पी0 (सी) सं0–6368/2018) में एक आदेश पारित किया था, जिनमें से एक प्रार्थना था, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 38 (1) और (2) को अधिकारातीत (अल्ट्र वायर्स) घोषित करने के लिए था। वह मूल विवाद, विद्वान आर्बिट्रल न्यायाधिकरण, जो तीन मान्नीय सदस्यों से मिलकर बना था तथा जिसके समक्ष रिट याचिकाकर्त्ता तथा इस आवेदन के आवेदक, आर0सी0एम0 इंफ्रास्ट्रक्चर के मध्य उत्पन्न विवाद संदर्भित किया गया था, द्वारा तय किए गए फीस से यह रिट याचिका उद्भूत हुई है। विद्वान त्रिसदस्यीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने प्रत्येक सदस्य के लिए 30,00,000/– (तीस लाख) रूपये का फीस दावा एवं प्रतिदावा हेतु तय की। रिट याचिकाकर्त्ता ने शिकायत की कि इस तरह की फीस तय करना 1996 अधिनियम के अनुसूची–IV से परे था, जिसे विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा पालन करने की आवश्यकता थी। रिट याचिकाकर्त्ता के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए महाधिवक्ता ने, हालांकि, प्रार्थनाओं के मुख्य हिस्सों को छोड़ दिया और फीस तय करने के पहलू पर उचित फोरम के समक्ष संपर्क करने की स्वतंत्रता मांगी। एकमात्र प्रार्थना जिसे प्रचालित किया गया था, वह था कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 11 (4) के अनुसार नियमों को तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय प्रशासन को निर्देश दिया जाय। यह आवेदन मुख्य रूप से 14 मार्च, 2019 को पारित हमारे आदेश के कंडिका 3 में दर्ज पहले वाक्य के हिस्से को हटाने के लिए लाया गया है। उस पैराग्राफ की पहली वाक्य इस तरह से है:–

3. रिट याचिकाकर्त्ता के साथ–साथ प्रतिवादी सं0 1 जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिस्पर्धी पक्ष हैं, की मुख्य शिकायत यह है कि इस प्रकार निर्धारित शुल्क 1996 की अधिनियम की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क की तालिका से अधिक है।

2. आवेदक का तर्क यह है कि फीस तय करना उनकी शिकायत नहीं थी। आवेदक का मूल तर्क इस आवेदन के कंडिका 7 में दी गई है, जो इसप्रकार हैः–

''कि मामले के वर्तमान तथ्यों में, याचिकाकर्त्ता मध्यस्थता न्यायाधिकरण (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) द्वारा निर्धारित शुल्क से व्यथित नहीं हैं क्योंकि न्यायाधिकरण ने सतर्कता से अनुसूची– IV के संदर्भ में अपना शुल्क निर्धारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा पैरा–3 में दर्ज तर्क वर्तमान याचिकाकर्त्ता द्वारा कभी प्रचालित नहीं किया गया था। तद्नुसार, याचिकाकर्त्ता प्रार्थना करता है कि निम्नलिखित संशोधन के तहत आदेश के पैरा–3 से हटा दिया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः–

''साथ ही प्रतिवादी सं0 1 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिस्पर्धी पक्षकार हैं।'' ''

3. यह आदेश आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में खुली अदालत में बोलकर लिखाया गया था। हमारे सामने सुनवाई के दौरान, यह विशेष रूप से हमारे द्वारा आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता से पूछा गया था कि क्या उन्हें फीस तय करने पर भी कोई शिकायत थी और इस बिंदु पर, आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा उस समय सकारात्मक रूप में इसका जवाब दिया गया था। उसी संदर्भ में, आदेश के कंडिका 3 का पहला वाक्य दर्ज किया गया था।

4. इस आवेदन के उक्त कंडिका 7 को जी0 जगदीश्वर राव के एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया गया है, जिसका कार्यालय 8–2–622/5/ए/2, इंदिरा चेम्बर्स, द्वितीय तल, एवेन्यू 4, रोड नंबर 10, बंजारा हिल्स, हैदराबाद–500034, तेलंगाना में है। हालांकि इस हलफनामे को रांची में ही एडवोकेट शपथ आयुक्त के समक्ष प्रतिज्ञान की गई है। उक्त कंडिका 7 को शपथकर्त्ता की जानकारी के अनुसार,

सही सत्यापित किया गया है और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड से प्राप्त किया गया है। हमने आवेदक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से पूछताछ किया कि क्या उक्त शपथकर्त्ता, अदालत में मौजूद थी जब आदेश बोलकर लिखाया गया था और हमें सूचित किया गया था कि जब वह आदेश बोलकर लिखाया गया था तो वह अदालत में मौजूद नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में, हमारे विचार में उक्त पैराग्राफ की अन्तर्वस्तु पर भरोसा नहीं की जा सकती है। आवेदक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमें संकेत दिया है कि उसने उक्त शपथ–पत्र के शपथकर्त्ता को सूचना नहीं दिया है। वह स्त्रोत, जिससे इस तरह की जानकारी प्राप्त की गई है, इसका खुलासा आवेदन के हलफनामे भाग में नहीं किया गया है।

5. हमने श्री पल्लव से, जो पहले उक्त आवेदक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अनुरोध किया था कि जब श्री मिश्रा, जो वर्तमान में आवेदक के लिए उपस्थित हैं, के अलावा वे भी उपस्थित रहें जब यह आदेश पारित किया गया। उनमें से किसी ने भी हमारे सामने आवेदन के पैरा 7 का वह हिस्सा, जिसमें यह कहा गया है कि कंडिका 3 में इस न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सबमिशन आवेदक की ओर से कभी भी कही नहीं गयी थी। श्री मिश्रा ने आज हमारे सामने सुनवाई के दौरान जो निवेदन किया है, वह यह है कि उनके पास इस न्यायालय के समक्ष ऐसा निवेदन करने का विशिष्ट निर्देश नहीं था। यह इस आवेदन में की गई प्रार्थना के लिए एक स्वतंत्र आधार हो सकता है, बशर्ते कि उस प्रभाव के लिए एक आवेदन लाया जाए और यह न्यायालय अंततः संतुष्ट हो जाए कि इस तरह के रिकॉर्ड को हटाने की आवश्यकता है। उस आधार पर, हम इस क्रम में कोई प्रेक्षण नहीं कर रहे हैं। दिए गए संदर्भ में, हमें इस आवेदन पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है। उक्त सबमिशन, जैसा कि हम पहले ही दर्ज कर चुके हैं, खुली अदालत में बोलकर लिखाया गया।

6. इसलिए, इस आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

(अनिरूद्ध बोस, मु0 न्याया0)

(रत्नाकर भेंगरा, न्याया0)